**..... फिरसे एक बार मंडल आयोग, पुनर्विचार आवश्यक है।**

भारतीय संविधान की धारा ३४० के अनुसार पिछडे हुए वर्गोंकी स्थिती का अन्वेषण करने के लिए आयोग कि नियुक्ती करने का निर्णय लिया गया। इस आयोग का उद्देश्य था कि भारत में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टीसे पिछडे हुए वर्गोंकी स्थिती क्या है, उन्हे कौनसी समस्याओंका सामना करना पडता है और उनकी स्थितीमें सुधार लाने के लिए सरकारके कौनसे उपाय कब करने चाहिए, इसका अभ्यास करके उचित सुझाव करें। २६.०१.१९५० में संविधान स्वीकारने के बाद १९५३ में काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया। उस आयोगने जो सुझाव दिए थे उसी आयोगने उसपर टिप्पणी लिखी कि यह सुझाव पर अंमल करना नामुमकिन है और आयोग समाप्त किया। फिरसे जनता दल के समय १९७८ में आयोग का गठन किया गया। इस आयोगने १९८० में अपना प्रतिवेदन दिया। उसमें बहुत सुझाव दिए थे किन्तु उनमें से सिर्फ शिक्षण और सेवामें २७% आरक्षण करने के सुझाव पर अंमल किए गए, वह भी १९९३ में। इसका अर्थ यह है कि धारा ३४०पर ४३ साल बाद अंमल हुआ, इस आयोगने अपने परिवेदनमें ऐसा लिखा था कि एस आयोग के सुझावों का २०साल बाद फिरसे पुनर्विचार किया जाए। अब वह समय आ गया है। क्योंकी इस देशमें विमुक्त-घुमंतू समाज ऐसा है कि उन्होंने आजादी के जंगमें अपने प्राणोंकी आहुती दी थी और अग्रेजोंको इतनी तकलीफ दी की अंग्रेजोंको अपनी नानी याद आ गयी। इसलिए अंग्रेजोने १८७१ में कानून पारित करके इस समाजको अलग कानून और अन्य समाज को अलग कानून पारित किया और इस समाज के अधिकार उनसे छीन लिए। आजभी यह समाज पूरे देशमें कीडेमकौडेकी जिंदगी जी रहा हैं।

मंडल आयोगने शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टीसे पिछडे हुए वर्ग कौनसे है, इसका अन्वेषण किया तो उन्हे दिखाई दिया की विमुक्त-घुमंतू समाज आत्यंतिक पिछडा हुआ है। इसलिए आयोग ने अपने सुझावमें कहाँ कि यह वर्ग अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजातीयों की तरफ हुए आत्यंतिक दबा हुआ वर्ग है और पिछडे हुए वर्गोंमें सबसे नीचा और अंतिम वर्ग है। क्योंकी अन्य पिछडे हुए वर्गोंको १८ से २१ तक अंक प्राप्त हुए थे और इन्हें ११ से १३ तक अंक प्राप्त हुए। इसलिए मंडल आयोगने ऐसा लिखा कि, हमारी कार्यकक्षमें विमुक्त-घुमंतू समाज नहीं आता है, फिरभी उनके बुरे हालात देखकर हम उन्हे मंडल आयोग के कार्यकक्षमें ओबीसी (अन्य पिछडे वर्ग) की केंद्रीय

सूचीमें शामिल करते है। परिवेदन के अनुच्छेद १३.३७ में ऐसा सुझाव किया है कि विमुक्त-घुमंतू अत्यंत पिछडे हुए वर्गको भारत सरकारने उनके राज्य के अनुसार अनुसूचित जाती या अनुसूचित जनजातीयों में शामिल कर लेना चाहिए। ओबीसीमें शामिल करने की यह सिफारिस विमुक्त-घुमंतूओं के भले के लिए है ऐसा लग रहा था फिर भी उसकी वजहसे विमुक्त-घुमंतूओं का नुकसान हुआ है। राज्यकर्ताओंने तथा उच्च पदस्थ अधिकारीयोंने पिछले २०साल बडे पैमानेपर सामाजिक भ्रष्टाचार किया। तत्कालिन प्रधानमंत्री व्ही.पी. सिंगने मंडल आयोग की सिफारिसे स्वीकार कर ली और उसपर अंमल भी किया। किन्तु उसी आयोग के एक सदस्य एल.आर.नाईक ने उनके असहमती टिप्पनीमें सुझाव दिया था कि विमुक्त-घुमंतू लोगों को अलग तरीकेसे आरक्षण देना चाहिए। उन्होंने सिफारिस की थी कि पिछडे वर्गोंको १५% और अत्यंत पिछडे वर्गोंको १२% ऐसा अन्य पिछडे वर्गों को २७% आरक्षण का विभाजन करें। किन्तु यह बात नजरअंदाज की गयी। इसी बात को लेकर इंद्र सहानी बनाम भारत सरकार इस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालयने इसी धागे को पकडके अन्य पिछडे वर्गोंके आरक्षण का दो या तीन भागों में विभाजन करने को सूचीत किया। अभी राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग दिल्ली, इन्होंने ओबीसी के २७% आरक्षण का तीन हिस्सोमें विभाजन करने की जोरदार सिफारिस की है। इसलिए सामाजिक भ्रष्टाचार रोखना है तो विभाजन करना आवश्यक है। क्योंकी देशमें विमुक्त-घुमंतू समाजकी आबादी १८% है। और राज्यमें विमुक्त-घुमंतू समाज की आबादी २२% है। किन्तु केंद्रीय स्तरपर आय.ए.एस., आय.पी.एस. इस सेवाओंमें इस समाज की संख्या आधा प्रतिशत भी नहीं। भारतीय संविधान के उद्देश्यमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय देना यह उद्देश है। किन्तु आज इस संविधान का कुछ उपयोग नहीं है। क्योंकी राज्यकर्ताओंकी इच्छाही नहीं है कि इस समाजको न्याय मिले। इस संदर्भमें सांवैधानिक संस्थाओं की क्या राय क्या थी और है यह देखेंगे।

**एल.आर.नाईक ने असहमती टिप्पणीमें दी गयी राय –**

श्री. नाईक की ऐसी राय थी कि, सबको एक साथ २७% आरक्षण देने के बजाय राज्योंके पिछडे हुए वर्ग की सूची का विभाजन करे। एक पिछडे हुए वर्ग और दूसरे अत्यंत पिछडे हुए वर्ग। उन्होंने स्पष्ट रुपसे लिखा है कि पिछडे हुए वर्गोंमें से प्रगत वर्ग आत्यंतिक पिछडे वर्गोंको आगे नहीं आने

देते। इसलिए आगे चलकर यह आत्यंतिक पिछडे वर्ग अपना संघठन करेंगे और अपना अलग नेतृत्व निर्माण करेंगे। किन्तु यदि ऐसा न हुआ तो ओबीसी की अत्यंत पिछडी हुई जातीयाँ और विमुक्त-घुमंतू जातीयाँ और पिछडे हुए दबे वर्ग केंद्रीय आरक्षण का लाभ नहीं उठा सेकेंगे।

**मा. सर्वोच्च न्यायालय की राय**

मंडल आयोग के सिफारिस के अनुसार २७% आरक्षण देने के मामले में सर्वोच्च न्यायालयने इंद्र सहानी बनाम भारत सरकार इस मामले में ऐसा कहाँ है कि संविधान की धारा १६(४) के अनुसार पिछडे हुए वर्गोंका पिछडे हुए वर्ग और अत्यंत पिछडे हुए वर्ग ऐसा वर्गीकरण करने को संविधान को कोई बाधा नहीं है। ऐसा वर्गीकरण वह समाज सामाजिक दृष्टीसे कितना पिछडा हुआ है इसपर निर्भर है। अलग अलग पिछडे हुए वर्गों में समान विभाजन होना जरुरी है, जिसकी वजह से एकसाथ होके एक या दो वर्ग आरक्षण के सब लाभ अकेले खुद नहीं ले जा सकेंगे।

इस मामले के आदेश क्र.८०२ के अनुसार माननीय अध्यक्षने ऐसी राय दी है कि पिछडे हुए वर्गोंके पिछडे वर्ग और अधिक पिछडे वर्ग ऐसे दो या तीन गुट करने में संविधान की कुछ बाधा नहीं है। हम ऐसा नहीं कहते है कि ऐसा करना ही चाहिए किन्तु यदि ऐसा वर्गीकरण किया तो वह वैध होगा। उन्होंने ऐसा उदाहरण दिया है कि यदि सुनार और वडार (जिनका पारंपारिक व्यवसाय पत्थर फोडना है) इन दोनों को एकही वर्ग में रखा जाए तो सुनारही सब सहुलियत, सुविधाँ ले जाएँगें और वडारों को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए यदि संभव हो तो सरकारने अन्य पिछडे हुए जातीयोंमें भी वर्गीकरण करना चाहिए, जिसकी वजह से पिछडे वर्गों में सेअधिक पिछडे हुए वर्गोंको उनके देय लाभ प्राप्त होंगे।

**राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग, दिल्ली इन्होंने कि हुई सिफारिसे**

हालमें ही राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग दिल्ली इन्होंने सिफारिस की है। एल.आर. नाईक और मा. सर्वोच्च न्यायालय के सूचना के अनुसार अन्य पिछडे हुए वर्ग की विभाजन करके १. विमुक्त-घुमंतू २. बाराबलुतेदार (नाई, खाटिक, वाणी, लुहार, सुतार, सुनार, दर्जी, धोबी) और (तेली, माळी, कोळी,

गोवारी, धनगर) और ३. केंद्रीय सूचीके बाकी रह गए सब ऐसा विभाजन २७% आरक्षण का करना है। पिछले २० बरस हम यहीं माँग कर रहे है।

यदि केंद्र सरकार ऐसा निर्णय लेती है ती जैसे महाराष्ट्र में अ, ब, क वर्गीकरण करके सच्चे अर्थ में आरक्षण दिया है और सामाजिक न्याय दिया है। ठीक वैसाही न्याय इस सब समाज घटको कों मिलना चाहिए। यदि ९:९:९ ऐसा विभाजन करने का निर्णय हुआ तो इस वर्षमें जो डॉ.बाबासाहब आंबेडकर की १२५वी जयंती का वर्ष है, इस दशक का सबसे बडा प्रश्न सुलझ जाएगाँ। यह सवाल देशकी ६६६ विमुक्त-घुमंतू जातीयाँ (आबादी २२ करोड), और ५४० आत्यंतिक पिछडी हुई जातीयाँ (आबादी १८ करोड) ऐसा कुल मिलाकर ४० करोड लोगोंकी समस्याओंका सवाल है। इसलिए २७.०३.२०१६ को जंतरमंतर दिल्ली में महारॅली का आयोजन किया है। यह सोयी हुई जातीयाँ यदि नींद से उठ गयी तो सरकार की नींद उडेगी ऐसा मेरा विश्वास है।

इसलिए मंडल आयोग का फिरसे पुनर्विचार करना जरुरी है। यही संदर्भ लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहनजी भागवत इन्होंने भी आरक्षण का पुनर्विचार करना जरुरी है, ऐसा कहाँ होगा।

हरीभाऊ राठोड
पूर्व सांसद और विधायक
Mobile No. 9920716999